किसानों के अलावा राजस्थान में बिना एन.ओ.सी. कोई नहीं कर सकेगा भूजल का दोहन : कन्हैयालाल

भू-जल दोहन की एन.ओ.सी. भी इसी शर्त पर मिलेगी कि उपयोग के निर्धारित अनुपात में भूजल रिचार्ज करना पड़ेगा

जयपुर (कासं)। राजस्थान में भू-जल का दोहन किसानों के अलावा अन्य किसी कोई भी बिना एन.ओ.सी. नहीं कर सकेगा। प्रदेश में गिरते भू-जल स्तर को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है।

भूजल मंत्री कन्हैयालाल ने बताया कि अधिक भूजल दोहन पर रोक लगाने के लिए सभी नए और विस्तारित उद्योग, उद्योग जो विस्तार करना चाहते हैं, बुनियादी ढांचा परियोजना, खनन परियोजना थोक जलापूर्ति, शहरी जल आपूर्ति योजनाएं एवं खारा जल निष्कर्षण हेतु भूजल के उपयोग के लिए एनओसी की अनिवार्यता को कठोरता से लागू करने का निर्णय लिया गया है। इनके द्वारा जितनी मात्रा में भूजल का दोहन किया जाएगा, उसके निर्धारित अनुपात में भूजल का रिचार्ज किया जाना जरूरी होगा, तभी जाकर इस श्रेणी को एनओसी प्रदान की जाएगी।

वहीं कुछ श्रेणियां में एनओसी लेने की छूट भी दी गई है। साथ ही केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त गाईडलाइन की पालना नहीं करने पर अवैध ट्यूबवेलों को सील करने, विद्युत सप्लाई को रोकने, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने जैसे कदम उठाये जाएंगे। भूजल मंत्री कन्हैया लाल ने बताया कि वर्ष 2023 के भूजल संसाधन के आंकलन के अनुसार राज्य के कुल 302 ब्लॉकों में से 216 ब्लॉक्स में अतिभूजल दोहन (100 प्रतिशत से अधिक) किया जा रहा है।

भूजल मंत्री कन्हैयालाल

प्रदेश के केवल 38 क्षेत्र भूजल की दृष्टि से सुरक्षित क्षेत्र हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में न केवल भूजल का स्तर गिर रहा है बल्कि भूजल में बढ़ते टीडीएस, नाइट्रेट और फ्लोराइड के कारण भूजल की गुणवत्ता में भी कमी आई है। प्रदेश में भूजल का दोहन लगभग 148 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में गिरता भूजल स्तर चिंता का विषय है और इस संबंध में तुरंत एक्शन लिया जाना जरूरी है।

इनके लिए एनओसी लेना अनिवार्य होगा

भूजल विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि बड़े उद्योग बिना एनओसी भूजल दोहन नहीं कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि

- **सभी नए और पुराने बड़े उद्योगों को भू-जल दोहन के लिए सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी : भूजल मंत्री**

सभी नए और मौजूदा उद्योग, उद्योग जो विस्तार करना चाहते हैं, आधारभूत ढांचे से जुड़ीं परियोजनाएं, खनन परियोजनाएं, वृहत जल आपूर्ति, शहरी जल आपूर्ति योजनाएं, खारा जल निष्कर्षण के लिए एनओसी लेना अनिवार्य होगा।

इन श्रेणियों में एनओसी की अनिवार्यता की छूट

डॉ. शर्मा ने बताया की कुछ श्रेणियां में एनओसी लेने की छूट दी गई है। व्यक्तिगत घरेलू उपभोक्ता द्वारा पीने के पानी एवं घरेलू कार्यों में उपयोग का पानी, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाएं, सशस्त्र सेना और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल प्रतिष्ठान, कृषि कार्य के लिए, छोटे और लघु उद्योग (10 क्यूबिक मीटर प्रतिदिन से कम भूजल निकालते हैं), सभी उद्योग-खनन आधारभूत परियोजनाएं जो केवल पीने या घरेलू उपयोग के लिए 5 क्यूबिक मीटर प्रतिदिन तक भूजल निकालते हैं, आवासीय अपार्टमेंट और ग्रुप हाउसिंग सोसायटी, पीने के पानी एवं घरेलू कार्य के लिए (प्रतिदिन 20 क्यूबिक मीटर भूजल का दोहन), सरकारी योजनाओं के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की आवासीय इकाइयां को एनओसी लेने से छूट दे गयी है।

एन.ओ.सी. के लिए ये रहेगी अनिवार्यता

एनओसी प्राप्त करने के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें रखी गई हैं। जिसमें टेलिमेटरिक सिस्टम युक्त टैंपर प्रूफ डिजिटल वाटर फ्लो मीटर लगाना, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं रिचार्ज स्ट्रक्चर का निर्माण, डिजिटल जल प्रवाह मीटर के साथ पिजोमीटर लगाना, समय-समय पर भूजल की गुणवत्ता का विश्लेषण और मॉनिटरिंग आवश्यक होगी।

इसकी अतिरिक्त कुछ विशिष्ट दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, जिसके अनुसार उद्योगों को उचित जल प्रबंधन की तकनीक काम में लेनी होगी जिससे भूजल पर निर्भरता कम हो सके। उपचारित या अनुपचारित जल को एक्वायफर में डालना पूर्णतया निषेध होगा। साथ ही भूजल को प्रदूषित करने की रोकथाम करने के प्रयासों को सुनिश्चित करना होगा। खनन उद्योगों के लिए खनन गतिविधियों, डस्ट सप्रेंशन के दौरान किए जाने वाली जल निकासी प्रक्रिया के दौरान काम में लिए गए जल का उपयोग करना अनिवार्य किया गया है। आधारभूत ढांचों के प्रोजेक्ट में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का निर्माण अनिवार्य किया गया है।

ट्यूबवेल खुदाई मशीन का पंजीकरण अनिवार्य

प्रदेश में ट्यूबवैल की खुदाई की ड्रिलिंग रिंग (खुदाई मशीन) का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य होगा और इन पंजीकृत ड्रिलिंग रिग्स द्वारा खोदे गए ट्यूबवेल का डेटाबेस भी रखा जाएगा।

जिला व उपखंड मजिस्ट्रेट पालना के लिए अधिकृत

केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने भूजल दोहन के लिए एनओसी का उल्लंघन करने वालों, एनओसी के लिए आवेदन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का जिला कलक्टर और प्रत्येक उपखंड के एसडीएम को अधिकार दिए हैं। राज्य सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेट एवं उपखंड मजिस्ट्रट से केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त गाइडलाइंस की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भूजल दोहन के लिए केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण की एनओसी लेना अनिवार्य होगा। गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध ट्यूबवेलों को सील करना, अवैध ट्यूबवेलों की विद्युत सप्लाई को रोकना, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पर्यावरण सुरक्षा एक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी।

जे.डी.ए. टीम ने तीसरे दिन हटाए 125 से ज्यादा अवैध अतिक्रमण

प्रवर्तन टीम ने जयपुरिया अस्पताल से दुर्गापुरा फ्लाई ओवर तक कार्रवाई की

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने गुरूवार को जयपुरिया अस्पताल से जय जवान मार्ग से एस.एल.मार्ग होते हुए दुर्गापुरा रेल्वे फ्लाई ओवर तक करीब 125 अतिक्रमण हटाए। पिछले 3 दिनों में जे.डी.ए. प्रशासन शहर में करीब 575 अवैध कब्जे व अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई कर चुका है।

जयपुर विकास आयुक्त मंजू राजपाल ने बताया कि जयपुर की तमाम मुख्य सड़कों, सेक्टर रोड व अन्य मार्गों पर यातायात आवागमन को सुगम बनाने के लिए सड़कों से अवैध कब्जे और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। गुरूवार को प्रवर्तन टीम ने जयपुरिया अस्पताल से दुर्गापुरा रेल्वे फ्लाई ओवर तक सड़क के दोनों तरफ करीब 3 कि.मी. दूरी में करीब 125 अतिक्रमणों

- **जे.डी.ए. प्रशासन पिछले 3 दिनों में शहर में 575 से ज्यादा अवैध कब्जे व अतिक्रमण ध्वस्त कर चुका**

को हटवाया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि इस रूट पर 3 कि.मी. दूरी में सड़क सीमा में दुकान-मकानों के चबूतरे, सीढ़ियां, रैम्प, बाउण्ड्रीवाल, चाय-नाश्ते की थड़ियां, ठेले, तिरपाल-बाँस-तम्बू की झोपड़ी, रैलिंग, जालियां, टेबल कुर्सियां, होर्डिंग-साइन बोर्ड लगाकर कब्जे किए हुए थे। प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी और मजदूरों की सहायता से इस अतिक्रमण को हटाया। कार्रवाई के दौरान पुलिस जाप्ता भी मौजूद था।

'सामाजिक न्याय-अधिकारिता विभाग का बजट इस बार 30 प्रतिशत बढ़ाया'

- **मंत्री अविनाश गहलोत ने सदन में कहा, ''भजनलाल सरकार ने पेंशन में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा दी''**

जयपुर (विसं)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने महंगाई के बावजूद आमजन को राहत पहुंचाने के लिए बजट को बढ़ाकर विकसित राजस्थान-2047 का स्वरूप दिया है। सामाजिक न्याय एवं सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के संचालन के लिए राज्य सरकार ने विभाग के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत की वृद्धि की है। आमजन को राहत देने के लिए 100 दिन की कार्ययोजना बनाकर उसे समयबद्ध रूप से क्रियान्वित भी किया।

अविनाश गहलोत गुरुवार को विधानसभा में मांग संख्या -31 (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की 1 खरब 18 अरब 72 करोड़ 89 लाख 37 हजार रूपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दीं।

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के विकास और सशक्तीकरण के लिए एससीएसपी एवं टीएसपी फंड्स को 1000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपये किया है। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के युवाओं को रोजगार, बालिकाओं को सम्बल तथा परिवारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए पहली बार 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। श्री गहलोत ने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों के उत्थान व उन्हें राहत प्रदान करने के लिए अनुजा निगम एवं अन्य पिछडी जाति विकास निगम आदि के माध्यम से इस वित्तीय वर्ष में 100 करोड रुपये की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। पहली बार अनुजा निगम के माध्यम से ईडब्ल्यूएस को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 25 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है। अविनाश गहलोत ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी के लिए कानून तो बना दिया था, लेकिन इसके लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया। हमारी सरकार ने इसके लिए बजटीय प्रावधान कर वास्तव में जरूरतमंदों को राहत प्रदान की है। विभाग द्वारा 31 मई, 2024 तक समस्त लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान किया जा चुका है। साथ ही, जून, 2024 माह का भुगतान शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पहली बार मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी गम्भीर बीमारी से ग्रसित विशेष योग्यजनों को एक लाख रुपये तक की व्हील चेयर देने की घोषणा की है।

कई आदिवासी धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन जाते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए : समाराम

विधायक समाराम ने सदन में कहा कि, ''जिन्होंने धर्म बदल लिया, उनको जनजाति सूची से हटाना चाहिए, क्योंकि ये अपना धर्म तो ईसाई बताते हैं और आदिवासियों के लिए बनी योजनाओं का फायदा उठाते हैं।''

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर। विधायक समाराम ने गुरूवार को विधानसभा में टी.ए.डी. और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान कहा कि, मैं आदिवासी क्षेत्र से आता हूं। यहां कई आदिवासी अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन जाते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया, उनको जनजाति की लिस्ट से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि ये अपना धर्म तो ईसाई बताते हैं और आदिवासियों के लिए बनी योजनाओं का फायदा लेते हैं। जो आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मानते है, उन्हें आरक्षण का लाभ भी नहीं मिलना चाहिए।

- **विधायक गणेश घोघरा ने आदिवासियों को हिंदू धर्म से अलग बताते हुए भिन्न कोड तय करने और आदिवासियों को आठ लीटर मुहएं रखने की अनुमति देने की मांग उठाई**

विधायक समाराम ने कहा कि हर आदिवासी हिंदू है, क्योंकि हिंदू वहीं है, जो सनातन से चला आ रहा है। आदिवासी भी सनातनी है। ऐसे लोगों को जनजाति की लिस्ट से हटाया जाना चाहिए, जो खुद को हिंदू नहीं मानते हैं, क्योंकि जनजाति का आरक्षण केवल हिंदुओं को ही दिया गया है। समाराम से पहले किशनगंज से भाजपा विधायक ललित मीणा ने भी सदन कहा था कि जो लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए।

भाजपा के कपासन विधायक अर्जुनलाल जीनगर ने विधानसभा में कहा कि, रोस्टर में एससी-एसटी के पद घटाए जा र रहे हैं। पद कम नहीं होने चाहिए। उन्होंने बिजली के कनेक्शनों में एससी-एसटी को प्राथमिकता देने, हर जिले में वृद्धा आश्रम बनाने, नशा मुक्ति केन्द्र खोलने की मांग करते हुए चित्तौडगढ़ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में संयुक्त निदेशक स्तर का का अधिकारी लगाने की आवश्यकता जताई।

डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश घोघरा ने सदन में आदिवासियों के लिए अलग से कोड लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा- जब देश में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिन्दू और मुस्लिम धर्म का कोड अलग है तो फिर आदिवासियों का कोड अलग क्यों नहीं हो सकता है। गणेश घोघरा ने आदिवासी कोड की मांग करके एक बार फिर आदिवासियों को हिन्दू धर्म से अलग बता दिया है। इसके साथ ही घोघरा ने जातिगत जनगणना की मांग भी की है। उन्होंने कहा- देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उसी से पता चलेगा कि देश में कितने आदिवासी हैं, उसी के अनुसार हमें आरक्षण मिलना चाहिए।

घोघरा ने कहा कि आदिवासियों की परम्परा में ही वार-त्यौहार (महुएं देशी शराब का रूप) का चलन है। एकाध लीटर सभी आदिबासी घरों में रखते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ती है और मामले दर्ज हो जाते हैं। सरकार टीएसपी एरिया में आठ लीटर महुएं को रखने की परमिशन दें और अगर ऐसा नहीं किया जा सकता है तो शहरों की बार-शराब की दुकानों को भी बंद कर दे। उन्होंने माही डेम का पानी सबसे पहले बांसवाड़ा में पेयजल के लिए देने, जनसंख्या के आधार पर टीएसपी में आरक्षण, प्रशासनिक भर्ती में छह फीसदी आरक्षण, जातिगत जनगणना कराने, आदिवासियों के लिए हिन्दू, मुस्लिम, जैन इत्यादि की तरह अलग से कोड बनाने, एरिया में उद्योग धंधे विकसित करने, मनरेगा में मजदूरी दिवस दो सौ दिन करने की मांग की।

रानीवाड़ा से कांग्रेस के विधायक रतन देवासी ने चर्चा के दौरान कहा कि सिरोही से सटे जालौर इलाके में 40 फीसदी एसटी वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन यहां टीएसपी एरिया नहीं है। सरकार को चाहिए कि वे इसके लिए प्रयास करें और तब तक उन्हें टीएसपी एरिया में चल रही योजनाओं का फायदा दें। उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से दिए जाने वाले दो लाख रूपए के रोजगार लोन पर मार्जिन मनी का प्रावधान हटाने, विशेष योग्यजन को स्कूटी की जगह रोजगार के लिए ई-रिक्शा देने का प्रावधान करने, टीएसपी एरिया में एसटी वर्ग को कृषि कनेक्शन में प्राथमिकता देने, जयपुर में कोचिंग छात्रों के लिए हॉस्टल बनवाने, आवासीय छात्रावास के साथ स्कूल के अलावा कॉलेज भी बनवाने की मांग भी की है।

सार-समाचार

आमजन ने किया मंत्री राठौड़ का स्वागत

जयपुर। कैबिनेट मंत्री व झोटवाड़ा विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने गुरूवा रको क्षेत्र की जनता के साथ संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने जनता से झोटवाड़ा विधानसभा के विकास के संबंध में विस्तार से चर्चा की। कैबिनेट मंत्री कर्नल राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा है। जन-जन के विकास से ही झोटवाड़ा व प्रदेश का विकास संभव है। भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए संकल्पित है। जन संवाद में क्षेत्रवासी झोटवाड़ा में जारी विकास कार्यों से संतुष्ट नजर आए एवं उन्होंने मंत्री व झोटवाड़ा विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ का आभार जताया है।

शिकायत निराकरण समिति की बैठक

जयपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति की एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के फसल कटाई प्रयोगों के प्रकरणों में विसंगतियों के निस्तारण के लिए गुरूवार को पंत कृषि भवन में प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी वैभव गालरिया की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में गालरिया ने बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, अजमेर, जोधपुर, नागौर और फलौदी जिलों के विभिन्न मौसम सत्रों के प्रकरणों के निस्तारण के लिए जिलों के अधिकारियो और बीमा कंपनी के अधिकारियों से चर्चा कर योजना प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि खरीफ 2023 का 899 करोड रूपये का क्लेम कृषकों को वितरित किये जा चुके है। शेष मुआवजे की राशि में आ रही दिक्कतों को दूर कर जल्द से जल्द किसानों को दे दी जायेगी। रबी 2023-24 के लिए कम्पनियों को दी जाने वाली सब्सिडी में से लगभग 461 करोड़ रूपये स्वीकृति जारी हो चुकी है। शेष फसल कटाई प्रयोगों में आ रही आपत्तियों का भी जल्द निस्तारण किया जा रहा है। बैठक में आयुक्त उद्यानिकी जयसिंह, विभागीय अधिकारी और एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

35 किलो मांस जब्त, दुकान सीज

जयपुर। नगर निगम हैरिटेज की पशु प्रबंधन शाखा ने गुरुवार को बिना लाइसेंस और खुले में मीट बेचने वाली दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक दुकान सीज की है। हेरिटेज निगम के पशु प्रबंधन शाखा उपायुक्त राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि हेरिटेज निगम की ओर से बिना लाइसेंस और खुले में मांस बेचने पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को निगम टीम ने पठानों का चोक, ब्रह्मपुरी, हांडीपुरा, घोड़ा निकास रोड, कसाइयों की मोरी, चार दरवाजा इलाके में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई दुकानों पर खुले में मीट बेचा जा रहा था। जिस पर कार्रवाई करते हुए 7300रुपए का चालान किया गया। साथ ही एक मीट दुकान को सीज किया गया। इसके अलावा 35 किलो अवैध मीट को जब्त कर नष्ट कराया गया। पशु प्रबंधन उपायुक्त राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि शाखा की ओर से लगातार कार्रवाई की जाएगी। नियमों के विपरीत दुकान चलाने पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर सतर्कता उपायुक्त पुष्पेन्द्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में टीम ने अस्थाई अतिक्रमण हटाया। गुरुवार को गंगापोल, भट्टा बस्ती, गौरी पार्क, नायला हाउस, सोफिया स्कूल तक अभियान चला कर सड़क और बरामदे से अस्थाई अतिक्रमण हटाया। इस दौरान राजस्व निरीक्षक बैद्यनाथ कौशिक के नेतृत्व में दस्ते ने एक ट्रक सामान जब्त किया है।

पत्रकारों ने जताया मुख्यमंत्री का आभार

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पत्रकार समाज के प्रहरी और लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के रूप में समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। पत्रकार संवेदनशीलता के साथ काम करते हुए निष्पक्षता और पूरी सच्चाई के साथ प्रत्येक घटना को जनता के सामने लाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निर्भीकता के साथ काम कर रही इस कौम को और अधिक सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर परिवर्तित बजट 2024-25 में पत्रकारों के लिए हुई घोषणाओं के आभार समारोह में सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर पत्रकारों ने शर्मा को साफा, शॉल तथा स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के साथ संवाद भी किया। इस दौरान राज्यभर से आए वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा शुरू से ही यह मानना है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले पत्रकारों का आंकलन होना चाहिए। इसलिए सरकार द्वारा इस वर्ष के परिवर्तित बजट में उत्कृष्ट पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों के लिए स्व. बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। साथ ही, पत्रकार कल्याण के लिए बजट में स्वतंत्र पत्रकारों के लिए अधिस्वीकरण की आयु सीमा में छूट, अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए राजस्थान जर्नलिस्ट हैल्थ स्कीम सहित विभिन्न कदम उठाए गए हैं। उन्होंने पत्रकारों को आश्वस्त किया कि आगे भी राज्य सरकार लोकतंत्र के इस स्तंभ को मजबूत बनाने का काम करेगी।

राजस्थान विवि. में छात्रों पर लाठीचार्ज

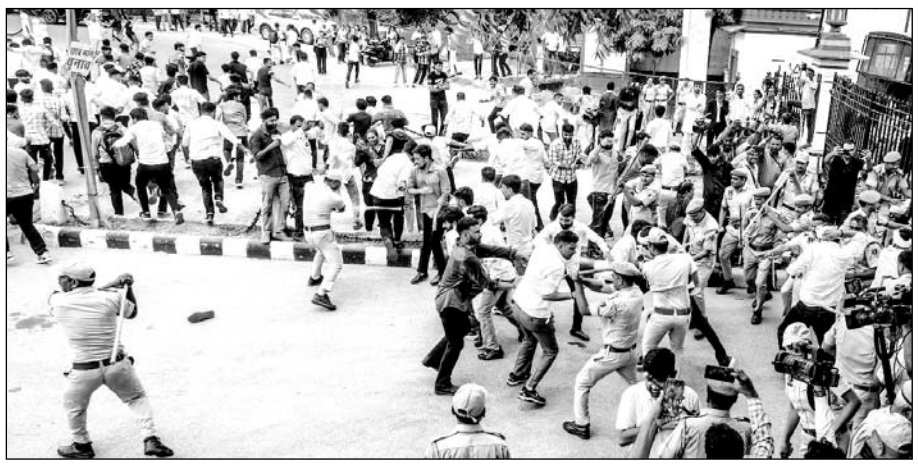

छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर गुरूवार को राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने थप्पड़ व डंडे मारे।

जयपुर। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर गुरुवार को राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठी और थप्पड मारते हुए छात्र नेताओं को जबरन पुलिस वैन में बैठाया।

दरअसल, यूनिवर्सिटी के बाहर सभी छात्र संगठन संयुक्त प्रदर्शन कर रहे थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) को भी प्रदर्शन में शामिल होना था, लेकिन प्रदर्शन से पहले एबीवीपी इस मुद्दे पर पीछे हट गई।

सुबह 11 बजे से ही यूनिवर्सिटी के बाहर बड़ी संख्या में छात्र नेता जुट गए थे। इस दौरान पुलिस की ओर से भारी जाप्ता विश्वविद्यालय में मौजूद रहा। प्रदर्शन दौरान कॉमर्स कॉलेज अध्यक्ष आदित्य शर्मा और पुलिस के बीच बहस हो गई। इसके बाद पुलिस ने उन्हें उठाकर जीप में बैठाया और हिरासत में ले लिया।

बता दें कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी छात्र संघ चुनाव कराने की मांग कर चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए पिछले साल छात्र संघ चुनाव स्थगित करने के फैसले पर भी सफाई दी और प्रदेश में फिर से छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग की थी।

राजस्थान यूनिवर्सिटी के 18 पूर्व अध्यक्ष जिनमें सांसद हनुमान बेनीवाल, विधायक कालीचरण सराफ समेत कई नेता शामिल हैं, वे भी सीएम भजनलाल शर्मा को लेटर लिखकर प्रदेश में एक बार फिर छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग कर चुके हैं। हालांकि सरकार अब तक यह क्लियर नहीं कर पाई कि इस बार भी चुनाव होंगे या नहीं।

छात्रों पर पुलिस का लाठी चार्ज बर्दाश्त के बाहर : खाचरियावास

जयपुर। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में पुलिस ने गुरूवार को जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज किया है, वह बर्दाश्त के बाहर है। पुलिस को यह समझना पड़ेगा कि छात्र संघ चुनाव छात्रों का लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर छात्र विधानसभा की ओर आगे बढ़ रहे थे, तो विधानसभा पर प्रदर्शन करना छात्रों का अधिकार है। खाचरियावास ने कहा कि जिस तरह से पुलिस ने छात्रों के कपड़े फाड़ दिए। उन्हें बहरेमी से पीटा गया। ऐसे समय में जब विधानसभा चल रही है, तब प्रदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में पुलिस छात्रों को दौड़ा-दौड़ा कर पीट रही थी। इसी विश्वविद्यालय में हम लोग भी पढ़े हैं। छात्र राजनीति भी की है लेकिन इस कदर पुलिस का परिसर के अंदर घुसकर छात्रों पर लाठियां बरसाना गलत है।

'भारत सरकार से बजट में सहकारी बैंकों के लिए पूंजीकरण सहायता की मांग'

जयपुर (कासं)। ऑल इण्डिया को-ऑपरेटिव बैंक एम्पलाईज फैडरेशन के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक चेन्नई में संपन्न हुई। बैठक में भाग लेकर आए फैडरेशन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सहकार नेता सूरज भान सिंह आमेरा ने बताया कि बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष तमिलनाडु से जी वाईरप्पन ने की। एआईबीईए के राष्ट्रीय महासचिव सीएच वेंकटचलम ने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधन दिया। आमेरा ने भी मुद्दों पर बैठक को संबोधित किया।

ऑल इण्डिया को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्लाइज फैडरेशन की राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक चेन्नई में संपन्न हुई।

सहकार नेता आमेरा ने बताया कि बैठक में सहकारी बैंकिंग व्यवस्था व सहकारी साख आंदोलन को सक्षम, सुदृढ़ व पारदर्शी बनाए जाने पर विचार करते हुए देश के किसानों के हित में सहकारी बैंकों के पूँजीगत संसाधन के लिए भारत सरकार से सहकारी बैंको के लिए बजट में पुनर्पूंजीकरण सहायता का बजट प्रावधान करते हुए सहायता जारी करने की माँग की गई। भारत सरकार द्वारा हर वर्ष व्यावसायिक बैंको के लिए करोड़ों रूपये की पूँजीगत सहायता जारी की जाती है लेकिन किसानों व कृषि से जुड़े सहकारी बैंकों को कोई पूँजीगत सहायता नहीं दी जा रही है जबकि सहकारी बैंकों से करोड़ों रुपये का आयकर उगाया जाता है, जिससे सहकारी बैंक कमजोर हो रहे है।

आमेरा ने बताया कि बैठक में भूमी विकास बैंकों का सविलयन व समामेलन में पीएलडीबी को एसएलडीबी की शाखा बनाकर इस

- **'शीतकालीन सत्र में दिल्ली में संसद पर रैली व धरना आयोजित करेंगे'**

सेक्टर को पूँजीगत सहायता से आर्थिक पुनरुद्धार करना, सहकारी बैंकिंग में सीसीबी को अपैक्स बैंक की शाखाए बनाकर टू टियर बैंकिंग व्यवस्था से राज्य में एक बड़ा सहकारी बैंक बनाना, पेक्स कार्मिक के सेवा शर्तों में वेतन भुगतान सुनिश्चित करना, सहकारी कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा के लिए पेंशन सुविधा लागू करना, ईपीएस 95 से देय उच्च पेंशन जारी करना, सहकारी बैंकों पर आयकर प्रावधान समाप्त कर पहले की तरह आयकर फ्री करना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के प्रावधान व रिजर्व बैंक के निर्देश प्रभावी रूप से लागू करना, नेट व डिजिटल बैंकिंग स्वीकृति के लिए उदारता बरतना सहित अरबन बैंकिंग व्यवस्था में हो रहे ग़बन व घोटालो से आमजन को सुरक्षित करना आदि मुद्दों पर चर्चा कर प्रस्ताव पारित किए गये।

आमेरा ने बताया कि फ़ैडरेशन के अखिल भारतीय आव्हान पर इन सभी मुद्दों व माँग को लेकर अगस्त-सितंबर माह में सहकारी बैंक कर्मचारी व अधिकारी राज्यों में सेमिनार व सम्मेलन आयोजित कर कार्मिको को जागरूक अभियान चलायेंगे, पोस्टर व बेज जारी करेंगे, राज्यो में विधान सभा पर राज्य स्तरीय धरने प्रदर्शन आयोजित करेंगे व संसद के शीतकालीन सत्र में दिल्ली में एआईबीईए व एआईसीबीईएफ मिलकर संयुक्त रूप से सहकारी बैंक के लिए जंतर मन्तर से रैली आयोजित कर संसद पर धरना देंगे।